न्यायालयः द्वितीय् अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड(म.प्र.) (समक्षः मोहम्मद अज़हर)

नियमित व्यवहार अपील क.—35/16 प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 24.10.16

> दिनेश सोनी पुत्र महावीर सोनी आयु 51 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 11 कस्बा मौ हाल वार्ड नंबर 10 कस्बा मौ तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

> > अपीलार्थी / वादी

<u>विरूद्ध</u>

- 1. महेश सोनी आयु 55 वर्ष,
- 2. रमेश सोनी आयु 59 वर्ष,
- 3. सुरेश सोनी आयु 63 वर्ष, पुत्रगण महावीर सोनी निवासी वार्ड नंबर 11 कस्बा मौ तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....<u>प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण</u>

न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—02 गोहद, जिला भिण्ड (श्री पंकज शर्मा) के न्यायालय के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 123ए / 15 में घोषित निर्णय दिनांक 24.09.16 से उद्भूत यह नियमित सिविल अपील।

अपीलार्थी द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता। प्रत्यर्थीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

<u> निर्णय :--</u>

(आज दिनांक 11.10.17 को घोषित)

 अपीलार्थी / वादी द्वारा यह अपील न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—02 गोहद, जिला भिण्ड (श्री पंकज शर्मा) के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 123ए / 15 उनवान दिनेश सोनी बनाम महेश सोनी एवं अन्य में घोषित निर्णय एवं डिकी दिनांक 24.09.16 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वादी / अपीलार्थी के द्वारा विवादित मकान एवं दुकान स्थित वार्ड क्रमांक 11 कस्बा मौ तहसील गोहद, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल स्याही से दर्शाया गया है, के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत वाद निरस्त कर दिया गया है।

विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी / वादी के यह अभिवचन 2. रहे हैं कि वार्ड क्रमांक 11 कस्बा मौ तहसील गोहद जिला भिण्ड में स्थित मकान एवं दुकान वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता महावीर के स्वामित्व उवं आधिपत्य का होकर महावीर के नाम से नगर पंचायत मौ में दर्ज है। आगे के पदों में उक्त भवन एवं दुकान को वादग्रस्त भवन / दुकान के नाम से संबोधित किया जाएगा। उक्त वादग्रस्त भवन / दुकान के पूर्व दिशा में फूला बढई का मकान, पश्चिम में 💇 शासकीय आम रास्ता, उत्तर में सीताराम शर्मा की भूमि, दक्षिण में शासकीय गली है। उक्त वादग्रस्त भवन की पश्चिम दिशा में 10/08 फुट अर्थात 80 वर्गफुट आकार की तीन दुकानें बनी हुई हैं तथा उत्तर दिशा में सीताराम शर्मा की दो दुकानों के पश्चात वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता महावीर की एक दुकान है, जिसमें मकान भी बना हुआ है। उक्त समस्त सम्पत्तियां वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्तियां है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता महावीर ने अपने जीवन काल में ही उक्त सम्पत्तियों को घरू बटवारा कर वादी एवं प्रतिवादीगण को उनके उनके हिस्से सौंप दिए थे। वादी एवं प्रतिवादीगण को जो हिस्से प्राप्त हुए थे वह वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शाए गए हैं। उक्त बंटवारे में वादी को प्राप्त मकान के भाग एवं दुकान के संबंध में विवाद है, जिन्हें वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग स्याही से दर्शित किया गया है। वादी ने पिता के जीवन काल में ही बटवारे में मिले उक्त वादग्रस्त भवन एवं दुकान के भाग पर अपने व्यय से निर्माण कार्य कराया और पिता के जीवन काल से ही उक्त भाग पर परिवार सहित निवास करता आ रहा है। वादी, प्रतिवादीगण के पिता का स्वर्गवास हो जाने से वादी बंटवारे में मिले अपने हिस्से का स्वामी एवं अधिपत्यधारी है।

- वादी के द्वारा यह भी अभिवचन किया गया है कि वादी ने 3. लगभग 10 वर्ष पूर्व वार्ड क्रमांक 10 कस्बा मौ में एक अन्य मकान क्रय किया तथा वादग्रस्त भवन एवं दुकान की देखरेख की जिम्मेदारी प्रतिवादी क्रमांक 01 को सौंपकर परिवार सहित वार्ड क्रमांक 10 में क्रय किए मकान में रहने पहुंच गया। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने वचन दिया था कि वह पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठा से वादी के हिस्से की देखरेख करेगा। इसलिए वादी निश्चिंत था। जिसका लाभ उठाकर प्रतिवादी कमांक 01 ने उक्त वादग्रस्त मकान एवं दुकान में अपनी गृहस्थी का सामान रख लिया। वादी द्वारा मना करने पर प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा अपना सामान हटा लेने का आश्वासन दिया। दिनांक 04.10.15 को वादी को सूचना मिली की प्रतिवादी कमांक 01 वादग्रस्त मकान एवं दुकान को अन्यत्र विक्रय करने की बातचीत कर रहा है। तब वादी ने 🖣 प्रतिवादी क्रमांक ०१ को पुनः सामान हटाने के लिए कहा, परंत् प्रतिवादी कृमांक 01 ने सामान नहीं हटाया और कहा कि अब वादग्रस्त मकान एवं द्कान पर तुम्हारा कोई भाग शेष नहीं है और मैं शीघ्र ही वादग्रस्त मकान एवं दुकान को बेच दूंगा। उक्त आधारों पर वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से रेखांकित वादग्रस्त मकान एवं दुकान स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी घोषित किए जाने एवं प्रतिवादी कमांक 01 को वादग्रस्त मकान एंव भवन का अंतरण करने एवं वादी के कब्जा एवं बर्ताव में कोइ व्यवधान उत्पन्न करने से स्थाई रूप से निषेधित किए जाने की प्रार्थना की गई।
- 4. प्रतिवादीगण कमांक 01 लगायत 03 की ओर से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादीगण के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्ख्यान किया गया है और यह अभिवचन किया गया है कि वादग्रस्त मकान एवं दुकान से वादी का कोई संबंध नहीं है। वादी, प्रतिवादीगण के पिता महावीर के द्वारा घरू बटवारा कर कब्जा सौंपने वाली बात सत्य है, परंतु वादी ने वादग्रस्त मकान पिता महावीर के जीवनकाल में ही दिनांक 12.07.1999 को 40,000/—रूपए के प्रतिफल स्वरूप तथा वादग्रस्त दुकान दिनांक 07.09.2007 को 40,000/—रूपए प्रतिफल स्वरूप प्रतिकल स्वरूप प्रतिवादी क्रमांक 01 को सौप कर

कब्जा प्रदान किया था। तब से बादग्रस्त मकान एवं दुकान पर प्रतिवादी क्रमांक 01 का कब्जा निरंतर चला आ रहा है। उक्त आधारों पर वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

5. उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर विचारण न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए गए तथा साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके समक्ष निम्नानुसार निष्कर्ष दिए गए:—

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या क्या वादी वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित वार्ड	अप्रमाणित ।
क्रमांक 11 करबा मौ स्थित वादग्रस्त मकान एवं दुकान का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है ?	
2. क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादग्रस्त मकान एवं दुकान में निहित वादी के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	अप्रमाणित ।
3. क्या वादी द्वारा वाद का समुचित मूल्यांकन कर पार्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ?	मूल्यांकन समुचित लेकिन न्यायशुल्क अपर्याप्त।
4. अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय ?	वाद निर्णय के पद कमांक 14 के अनुसार अप्रमाणित पाए जाने से निरस्त किया गया।

6. अपीलार्थी / वादीगण की ओर अपने अपील मेमो एवं तर्क में प्रमुख आधार यह लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्र0डी0—01 लगायत 03 के दस्तावेज प्रदर्शित कर साक्ष्य में ग्राह्य किए गए हैं जबिक इस प्रकार के दस्तावेज कानूनी रूप से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किए जा सकते क्योंकि वे अचल सम्पत्ति से संबंधित दस्तावेज हैं और वे पर्याप्त न्यायशुल्क अदा न करने से पंजीकृत दस्तावेज नहीं है। विवादित मकान पुस्तैनी होकर शामलाती है। जिसका विधिवत बटवारा नहीं हुआ है केवल घरू व्यवस्था के अनुसार विवाह होने की वजह से वादी द्वारा उक्त मकान को खाली कर दिया गया था, किंतु उस पर वादी का शामलाती आधिपत्य है। वादी के केवल अलग रहने से उसका

शामलाती हक समाप्त नहीं हो सकता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य और विधि के विपरीत मानमाने तौर पर निष्कर्ष निकालते हुए वादी के वाद को खारिज किया है। इस कारण आलोच्य निर्णय दिनांक 24.09.16 विधि विधान के विपरीत होने से काबिले निरस्ती है। उक्त आधारों पर उक्त निर्णय एवं डिकी दिनांक 24.09.16 को अपास्त करते हुए अपील स्वीकार करते हुए वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से रेखांकित वादग्रस्त मकान एवं दुकान का स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी घोषित किए जाने एवं प्रतिवादी / प्रत्यर्थी कमांक 01 को वादग्रस्त मकान एवं वादी के कब्जा एवं बर्ताव में कोइ व्यवधान उत्पन्न करने से स्थाई रूप से निषेधित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

- 7. प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण क्रमांक 01 लगायत 03 की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादप्रश्न क्रमांक 01, 02 एवं 03 पर उचित रूप से निष्कर्ष देते हुए, वाद निरस्त किए जाने में कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। विचारण न्यायालय का आलोच्य निर्णय एवं डिकी विधि अनुरूप है। अपील निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
- 8. इस अपील के विधिवत् निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है।
 - क्या वादी विवादित दुकान एवं मकान, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है, का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है ?
 - 2. क्या प्रतिवादी कं0—01 के द्वारा विवादित दुकान एवं मकान में वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है ?
 - 3. क्या इस वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ?
 - 4. क्या विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिकी दिनांक 24.09.16 स्थिर रखे जाने योग्य है या निर्णय एवं डिकी में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार है ?

ः:<u>सकारण निष्कर्षः:</u>

- 9. इस अपील में अपीलार्थी / वादी की ओर से आवेदन अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं धारा—151 जा0दी0 तथा आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं धारा—151 जा0दी0 का प्रस्तुत किया है, जिनका निराकरण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
- 10. सर्वप्रथम आवेदन अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 जा०दी० निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थी / वादी की ओर से व्यक्त किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के जीवनकाल में ही विवादित मकान एवं दुकान का बटवारा हो गया था। विवादित हिस्सा अपीलार्थी को प्राप्त हुआ था। परंतु घर में विवाह होने के कारण दिनांक 01.01.13 को मकान व दुकान खाली कर दी थी। तभी से प्रतिवादीगण ने शामिलाती मकान पर कब्जा कर लिया है, इसलिए उक्त जगह हिस्सा 1/4 के अनुसार विवादित मकान एवं दुकान का वादी बटवारा करा कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस आशय का संशोधन अपीलार्थी / वादी की ओर से समाहित किए जाने की प्रार्थना की गई है।
- 11. प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि वादी ने वादपत्र के पद कमांक 06 व 07 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि वादग्रस्त मकान व दुकान को वह प्रतिवादी कमांक 01 महेश को सौंप कर अपने परिवार सहित वार्ड कं0—10 में खरीदे हुए मकान में रहने लगा था। प्रस्तावित संशोधन से अलग ही कहानी पैदा होती है। आवेदन सद्भावना पर आधारित नहीं है। आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
- 12. उभयपक्ष को सुने जाने तथा विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि वादी के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जो अभिवचन किए गए हैं उसमें विवादित मकान व दुकान को प्रतिवादी की देखरेख में देने और कब्जा देने के अभिवचन हैं। प्रस्तवित संशोधन में भाई सुरेश की लड़की शोभा का विवाह होने के कारण मकान व दुकान खाली करने के तथ्य हैं। इस प्रकार वादी के द्वारा वादकारण का अधार ही बदला जा रहा है। मकान छोड़ने की दिनांक 01.01.13 बताई जा रही है, जिसका उल्लेख वादपत्र में कहीं

भी नहीं है वैसे भी सूची सिहत दस्तावेज में शोभा की शादी के कार्ड की फोटोकॉपी प्रस्तुत की गई है, जिसमें विवाह की दिनांक 02.07.2002 है। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से प्रस्तावित संशोधन समर्थित नहीं है।

- 13. अपीलार्थी ∕ वादी की ओर से बटवारा करा कर अपना हिस्सा प्राप्त करने की प्रार्थना भी की गई है। परंतु बटवारे के संबंध में न तो दावे का मूल्यांकन दर्शाया है और न ही यह दर्शाया है कि उस पर कितना न्यायशुल्क वादी अदा कर रहा है। प्रस्तावित संशोधन से घोषणा का वाद बटवारे के वाद में परिवर्तित हो जाएगा अर्थात वाद का स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त कारणों से संशोधन समाहित किया जाना न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदन अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 जा०दी० निरस्त किया गया।
- 14. अपीलार्थी के आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं धारा—151 जा०दी० पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए। अपीलार्थी की ओर से नगर परिषद मौ की वार्ड कमांक 11 की महावीर सोनी के मकान की कर निर्धारण सूची की सत्य प्रतिलिपि एवं नगर पंचायत मौ की महेश के नाम से कर की दो रसीदें प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया गया है कि उक्त मकान वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता महावीर सोनी के नाम दर्ज है। दस्तावेजों की नकलें बाद में प्राप्त होना बताते हुए प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए उन्हें आवश्यक होना बताते हुए अभिलेख पर लिए जाकर साक्ष्य में ग्राह्म किए जाने की प्रार्थना की गई है।
- 15. प्रत्यर्थीगण की ओर से लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया गया है कि उक्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं किए गए थे, जो कि वह पूर्व में ही प्रस्तुत कर सकता था। उक्त दस्तावेज वादी की जानकारी में पूर्व से ही थे। दस्तावेज शादी की चिट्ठी एवं नगर परिषद की रसीदें आदि इस स्टेज पर ग्राह्य किए जाने योग्य नहीं है। आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

- 16. उभयपक्ष को सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उपरोक्तानुसार अपीलार्थी / वादी का आवेदन अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 जा०दी० निरस्त किया गया है जो कि शोभा के विवाह से संबंधित अभिवचनों के बारे में है। अतः ऐसी स्थिति में शोभा के विवाह की चिट्ठी के संबंध में आवेदन निरस्त किया गया। परंतु जहां तक की नगर परिषद की रसीदें एवं कर निर्धारण सूची का प्रश्न है। प्रतिवादीगण की ओर से यह आधार कहीं नहीं लिया गया है कि उक्त मकान व दुकान महावीर सोनी के स्वामित्व के नहीं थे। प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से प्रथम दृष्टि में महावीर स्वामी के स्वामित्व की विवादित सम्पत्ति होना प्रकट होने से उक्त दस्तावेज प्रकरण के न्यायिक निराकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज होना प्रकट होता है।
- 17. यदि उक्त दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्राह्य कर विवेचना की जाती है तब विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रभावित हो सकता है। उक्त दस्तावेज के बिना विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्व ारा विवेचन किया गया है और निष्कर्ष दिया गया है। निर्णय दिनांक 24.09.16 में वादप्रश्न कमांक 01 निराकृत करते समय पैरा–17 में यह मान्य किया है कि वादी दिनेश ने वादग्रस्त भवन एवं दुकान उसके मृत पिता महावीर के या स्वयं वादी के स्वामित्व के होने संबंधी कोई दस्तावेज यथा पंजीकृत विक्रय विलेख या नगर पालिका मौ में संधारित वादग्रस्त भवन संबंधी कोई अभिलेख प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता महावीर सोनी विवादित भवन एवं दुकान के स्वामी थे।
- 18. यदि उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जाता है और उसके संबंध में विवेचना कर निष्कर्ष नहीं दिया जाता है तब न्याय के उद्देश्य विफल होने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में इस दृष्टि से नगर परिषद मो के कर निर्धारण सूची व रसीदें आदि दस्तावेज प्रकरण के न्यायिक निराकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज होना प्रकट होते हैं। उक्त दस्तावेज के संबंध में न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अतिरिक्त साक्ष्य का लिया जाना तथा उक्त दस्तावेजों एवं मौखिक

साक्ष्य की विवेचना करने के पश्चात निर्णय घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

- उक्त दस्तावेजों के परिपेक्ष्य में पक्षकारों के मध्य न्यायिक निराकरण करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता इस न्यायालय को प्रतीत हो रही है। अतिरिक्त साक्ष्य का लिया जाना किसी लैकूना पूर्ति या किसी कमजोरी की पूर्ति के लिए लिया जाना प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी / वादी का उक्त आवेदन 1,000/-रूपए हर्जे पर स्वीकार कर उक्त दस्तावेज अभिलेख पर लिए गए। बिना इन दस्तावेजों के तथा उनके संबंध में बिना साक्ष्य लिए निर्णय विचारण / अधीनस्थ न्यायालय ने दिया है तथा डिकी पारित की है, वह उक्त कारण से हस्तक्षेप किए जाने योग्य है। इस कारण उक्त आलोच्य निर्णय एवं डिकी दिनांकित 24.09.16 अपास्त किए 💇 जाने योग्य है।
- 20. इस मामले में उपरोक्तानुसार अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना एवं दस्तावेज तथा मौखिक साक्ष्य की विवेचना करने के पश्चात निर्णय ध गोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से उक्त आलोच्य निर्णय एवं डिकी 24.09.16 अपास्त किया जाता है।
- अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई। यह प्रकरण विचारण / अधीनस्थ न्यायालय की ओर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विचारण/अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में विधिवत उभयपक्ष की अतिरिक्त साक्ष्य ले तथा उन्हें खण्डन का अवसर दें, पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्य एवं अतिरिक्त साक्ष्य की पुनः विवेचना करते हुए प्रकरण का पुनः निर्णय करे। यदि यह पाया जाता है कि वादी ने पर्याप्त न्यायशुल्क अदा नहीं किया है तो न्यायशुल्क अदा करने का समुचित अवसर प्रदान करें। प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों नगर परिषद मौ के कर निर्धारण सूची व रसीदों की स्वप्रमाणित फोटोप्रति अपीलार्थी प्रस्तुत करे जो इस अपील प्रकरण में संलग्न की जावे। जो दस्तावेज असल एवं सत्य प्रतिलिपि इस अपील में प्रस्तुत की गई हैं, वह मूल व्यवहार वाद के मूल अभिलेख के साथ विचारण न्यायालय की ओर प्रेषित की जावे।

- 22. उभयपक्ष दिनांक 30.10.17 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु उपस्थित रहें।
- इस अपील का व्यय उभयपक्ष अपना–अपना वहन करेंगे। 23. अधिवक्ता शुल्क 750 / रूपए लगाया जावे। मेमो ऑफ कॉस्ट तैयार किया जावे।
- इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल 24. अभिलेख वापस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया । मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

